

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सीहोर प्रधान कार्यालय

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों का बीमा करने हेतु शर्तें

1. फर्म का जी.एस.टी./पेन कार्ड की सत्यापित प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी।
2. फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र जिला सीहोर रहेगा।
4. निविदा बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सीहोर का रहेगा।
5. निविदा के समय अर्नेस्ट मनी डी.डी. राशि 10 हजार का अधोहस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में जारी हो प्रस्तुत करना होगा, जिसे संतोष जनक कार्य पूर्ण होने के पश्चात वापस की जावेगी।
6. निविदा 03 लिफाफे में होना चाहिये (पहले लिफाफे में जमा पर्ची दूसरे लिफाफे में दस्तावेज तीसरे लिफाफे में रेट लिस्ट तीनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे के अंदर बंद होना चाहिये)
7. प्राप्त निविदाओं में सफल निविदाकार फर्म से प्राप्त दरो में आवश्यकता होने पर निगोसिएशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।
8. निविदा आवेदन पत्र निर्धारित दिनांक तक व्यक्तिगत रूप से या साधारण डाक से प्रेषित किये जा सकते हैं।
9. निविदा में आवेदन किये जाने का अर्थ होगा आवेदक को उपरोक्त समस्त शर्तें मान्य हैं।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी